न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 145./2022/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 20.7.2022
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सुधीरचन्द तिवारी पिता स्व0 रमेशचंद तिवारी निवासी तिवारी भवन नई बस्ती सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. सुनील कान्त तिवारी पिता स्व0 रमेशचंद तिवारी निवासी तिवारी भवन नई बस्ती सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

... अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2 सुभाष यादव पुत्र स्व0 विभूति यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3 मोहम्मद शफी पिता रूस्तमअली जाति मुसलमान निवासी 14–बी लैक न्यू कालोनी न्यू आकाशवाणी कोटा राज0।
4 अशोक कुमार पिता भयामलाल अदलक्खा जाति पंजाबी नि0 मकान नं0 4 रेल्वे सोसायटी मालारोड कोटा जक्शन कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सूर्यप्रकाश जेथलिया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 2.

:::निर्णय:::

दिनांक 3.4.2024

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा (1) प्रकरण संख्या 30/20 अपील उनवान सुधीरचंद तिवारी बनाम राज्य सरकार (2) प्रकरण सं0 15/24 अपील सुधीरचंद तिवारी बनाम सुभाष यादव (3) प्रकरण सं0 30/14 अपील बउनवान सुधीरचन्द तिवारी वगेरा बनाम मोहम्मद शफी आदि धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 17.5.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि उपरोक्त तीनो अपीलों मे अपीलांट एक ही होने एंव विषयवस्तु अर्थात एक ही भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय दिनांक 17.5.2022 से अस्वीकार कर खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों एंव दस्तावेजात विशेषतः माननीय उच्च न्यायालय के जयपुर डिवीजन बेच के निर्णय दिनांक 8.11.88 एंव दिनांक 25.2.1993 तथा माननीय

न्यायालय एसीजेएम क्रम–1 कोटा के आदेश के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। नामा0 सं0 155/1975 से अपीलार्थी के पिता के नाम पर कयशुदा जमीन एसडीओ कोटा के आदेश से दर्ज हुई थी। तहसीलदार को इस नामा0 को निरस्त करने का कोई अधिकार नही था। दिनांक 18.8.1979 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा नामा0 सं0 155 को निरस्त करने के आदेश को खारिज किया गया। दुर्भावनावश पुनः 422/1984 का आदेश पारित कर पत्रावली कायम कर अपर न्यायालय के आदेश के विपरीत तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण के हक एंव अधिकार पूर्णतया सत्यापित एंव न्यायिक सर्वसिद्ध होकर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक है अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी और पूर्व के नामा0 को न तो देखा व न ही विवेचन किया। सं0 2024–27 की जमाबन्दी रतीलाल के नाम से दर्ज इन्द्राज को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है इसी प्रकार रमेशचन्द्र के नाम से दर्ज इन्द्राज राजस्व रिकार्ड को नजर अदाज किया गया तथा मानसिंह की फर्जी शिकायत एएसओ के आधार पर दर्ज कराये गये प्रकरण मे दिनांक 6.4.1991 को हुई दोषमुक्ति के समग्र निर्णय को विवेचित न कर भारी भूल की है। एएसओ ने रत्तीलाल को पक्षकार बनाये बिना धारा 60–61 के तहत कार्यवाही कर नामा0 सं0 155 को निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। स्व0 रमेशचंद के दिनांक 6.4.91 को बरी होने के उपरांत वापस नामा0 सं0 155 को बहाल कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाना आवश्यक था जो नही किया गया। एसडीओ के वाद सं0 144/2001 एंव 26/93 को आधार बनाकर अपील खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है जबकि नामा0 सं0 617 एंव 620 अवैध एंव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रमेशचंद तिवारी की मृत्यु दिनांक 16.9.2010 के बाद उसके वारिसान द्वारा अपीले पेश की गई जो बेरून मियाद नही थी। रमेशचंद के उत्तराधिकारी अपीलांट आज तक काबिज है तथा सन् 1985 मे उक्त जमीन के हिस्से एसडीओ से आवासीय समपरिवर्तन होकर मकान बनाकर पट्टा प्राप्त कर निवासरत है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअदाज किया है जबकि उक्त तीनों अपीले नामा0 सं0 155 को बहाल करने मात्र थी जो 2020 मे न्यायालय मे पेश की गई थी तथा सभी दस्तावेजी साक्ष्य एंव अपील मे उचित कारण लिखित मे दिये गये थे अतः मियाद का बिन्दू बेबुनियाद होकर खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के पैरा 6 मे आराजी से संबधित 2 अन्य वादो का उल्लेख कर गैर विधिक निर्णय पारित किया है। माननीय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) कोटा मे दिनांक 8.8.2008 को बद्रीबाई के घोषणात्मक वाद सं0 432/99 को खारिज किया गया जिसको छिपाकर दुरभि संधि के तहत राजस्व न्यायालय मे वाद जारी रखे है जो न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है। नामा0 सं0 155 दिनांक 14.6.75 को एसडीओ के आदेश दिनांक 26.8.1970 की पालना मे दर्ज हुआ है जिसको आज दिनांक तक चुनोती नही दी गई। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आलौच्य निर्णय दिनांक 17.5.2022 निरस्त कर नामा0 सं0 155/1975 को बहाल किया जाकर नामा0 सं0 617 ओर 820 को रद्ध किये जाने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम'1 की ओर से पैरोकार सरकार तथा रेस्पो0 क्रम–2 की ओर से उसके अभिभाषक श्री जगदीश खण्डेलवाल उपस्थित। रेस्पो0 क्रम–3 व 4 को जरिये रजि0 ए0 डी0 नोटिस से आहूत किया गया था। रेस्पो0 क्रम 3 व 4 के उपस्थित नही होने पर दिनांक 18.7.2023 को उनकी तामील पूर्ण मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–2 की दिनांक 26.3.24 को बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों अपीलो को संयोजित कर एक ही निर्णय से निर्णित करने मे त्रुटि की है क्योंकि तीनों अपीलो मे भूमि पृथक–पृथक है। ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा मे खसरा नम्बर 112 की 11 बीघा 4 बिस्वा , ख0 सं0 112/359 की 5 बीघा तथा ख0 सं0 112/403 की 13 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 रकबा रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित थी। सं0 2024 –27 मे उक्त भूमि रत्तीलाल के खाते व कब्जे काश्त की थी। सेटलमेंट सं0 2038 से 2057 के अनुसार उक्त भूमि के नये ख0 नं0 किता 5 रकबा 4.78 कायम हुआ। रतीलाल रैल्वे मे कान्ट्रेक्टर से कान्ट्रेट पूरा होने के बाद उक्त कृषि भूमि को

व्यवथा हेतु अपीलांट के पिताा को संभला कर अहमदाबाद चले गये। जिसकी ताईद प्रकरण सं0 690/89 सरकार बनाम रमेशचन्द्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 क्रम–1 कोटा के निर्णय से होती है। रत्तीलाल के अहमदाबाद जाने के पश्चात से ही अपीलांट के पिताजी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है। दिनांक 1.5.1970 को अपीलांट के पिताजी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को रत्तीलाल से विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद लिया। जिसके पश्चात अपीलांट के पिताजी के पक्ष मे नामा0 सं0 155 दिनांक 14.6.75 को तस्दीक किया गया। जिसके आधार पर रमेशचंद तिवारी का नाम जमाबंदी मे दर्ज हुआ। रत्तीलाल द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने बावत अपना एक स्वीकारोक्ति पत्र भी दिनांक 15.2.79 तहरीर कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया। बहस मे आगे बताया कि मानसिंह ने रजिंशवश एक झूठा शिकायती पत्र एएसओ को प्रस्तुत किया जिसकी पत्रावली सं0 1/78 मे खातेदार रत्तीलाल को पक्षकार बनाये बिना ही धारा 60 व 61 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर बिना किसी उचित आधार एंव अपीलांट के पिताजी के विरूद्ध दर्ज कराये गये फोजदारी प्रकरण के आधार पर रत्तीलाल द्वारा भूमि का परित्याग कर छोड जाना मानकर नामा0 सं0 155 निरस्त कर उक्त भूमि को कब्जे सरकार मे लिये जाने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट के पिता रमेशचन्द्र तिवारी द्वारा उक्त आदेश की अपीले की गई जो सभी जगह से अपीलांट के पिताजी के विरूद्ध न्यायालय एसीजेएम क्रम–1 मे फोजदारी प्रकरण जेरकार होने के आधार पर खारिज कर दी गई। उक्त प्रकरण सं0 690/89 सरकार बनाम रमेशचन्द्र माननीय न्यायालय ने गुणावगुण पर विचार करते हुये दिनांक 4.4.01 को रमेशचन्द्र तिवारी को दोषमुक्त कर दिया। उक्त प्रकरण मे नामा0 सं0 155 से संबधित सभी व्यक्तियों के बयान लिये गये है। रमेशचन्द्र तिवारी के पक्ष मे तस्दीक नामा0 सं0 155 को बिलकुल सही ठहराया है। ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 155 को निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित था कि उक्त भूमि पर रमेशचन्द्र तिवारी का रत्तीलाल के अहमदाबाद जाने के बाद से कब्जा रहा है तथा उक्त भूमि पर स्वंय का मकान भी वर्ष 1970 से ही बना हुआ है जिसका पट्टा भी नगर नियोजन विभाग द्वारा जारी किया हुआ है। उक्त जमीन विभूमि यादव के किस तरह से दर्ज हुई यह स्पष्ट नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही नामा0 सं0 155 को निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की है अतः नामा0 सं0 155 दिनांक 19.6.195 बहाल किया जावे तथा सहायक भू अभिलेख अधिकारी एंव तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.79 खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे यह भी बताया कि वर्ष 2003 तक मुकदमे बाजी चलने तथा इसके प्श्चात रमेशचन्द्र तिवारी केंसर की बीमारी से ग्रस्त हो जाने तथा ईलाज मे व्यस्त रहने के कारण अपील प्रस्तुत कर पाये तथा दिनांक 16.9.2010 को रमेशचन्द्र तिवारी की मृत्यु हो गई इसके कई वर्षो बाद अपीलांट को उक्त दस्तावेज प्राप्त हुये तथा आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर नकले प्राप्त कर अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश करने की स्थिति मे अपीलार्थी द्वारा जेरअपील निर्णय के पुर्नविलोकन कर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के दस्तावेजात एंव तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने उपरोक्त विर्णित तथ्यों के समर्थन मे विभिन्न न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आलौच्य निर्णय दिनांक 17.5.2022 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 155/1975 को बहाल किया जावे तथा नामा0 सं0 617 ओर 820 को रद्ध किये जेने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 श्री जगदीश खण्डेलवाल ने अपनी बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों प्रकरणो को संयोजित किये बिना ही एक ही निर्णय से तीनों अपीलों को निर्णित किया है ऐसी स्थिति मे तीनों प्रकरणो की पृथक 2 अपील होनी चाहिये। अपीलांट द्वारा बिना परमिशन के एक ही अपील की है जो कानूनन गलत है। नामा0 सं0 617 एंव 620 के विरूद्ध लगभाग 47 वर्ष बाद विलम्ब से अपील पेश की गई जो अवधि बाधित थी तथा विलम्ब का कोई विधिसम्मत व युक्तियुक्त कारण नही था। वादग्रस्त आराजी का विवाद अपीलांट के पिता रमेशचंद तिवारी, रत्तीलाल व विभूति आदि के मध्य संवत 2024–27 के पश्चात से विचाराधीन रहा है इन लोगो के मध्य फौजदारी प्रकरण सरकार बनाम रमेशचन्द्र एसीजेएम

अति. सं. आयुक्त

क्रम–1 कोटा मे विचाराधीन भी रहा है। उक्त पक्षकारो के मध्य विवाद न्यायालय ए0एस0ओ0 कोटा मे पत्रावली सं0 1/1978 धारा 60 व 61 आरटीए की विचाराधीन रही है। इसी भूमि के संबध मे अनेक अपीले अति0 जिलाधीश कोटा, न्याया0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तथा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर मे अपीलांट के पिता रमेशचंद तिवारी द्वारा की गई जो सभी निरस्त हुई है। ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 155 जो अपीलांट के पिता रमेशचन्द्र तिवारी के विरूद्ध पारित/तस्दीक किया गया था उसे करीब 47 वर्ष प्श्चात रमेशचन्द्र तिवारी के पुत्र अपीलांट सुधीर तिवारी को उक्त नामा0 निरस्त करवाने व इस संबध मे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही हो सकता क्योकि स्वयं रमेशचन्द्र तिवारी ने तो अपने जीवनकाल मे बावजूद समस्त जानकारी के कोई चाराजोही नही की अर्थात वह स्वीकार कर चुका था। रमेशचन्द्र तिवारी की मृत्यु 16.9.2010 को हो चुकी है। ए0एस0ओ0 तहसील लाडपुरा कोटा का आदेश दिनांक 24.9.84 मिसल नं0 422/84 से भी रमेशचन्द्र तिवारी का नाम खारिज करने बावत आदेश हो चुका है। इसके अतिरिक्त रमेशचन्द्र तिवारी अपीलांट के पिता व अन्य बद्रीबाई, विभूति, प्रमोदशाह , स्टेट आदि का वाद बउनवान रमेशचन्द तिवारी बनाम प्रमोद शाह ,आदि न्यायालय एसडीओ कोटा मे वाद सं0 144/2001 विचाराधीन है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे दुर्भावना से छिपाया गया। बहस मे आगे बताया कि नामा0 सं0 617 मृतक खातेदार विभूति यादव की विरासत का उसके पुत्र सुभाष यादव के नाम खोला गया जिसमे कानूनन कोई त्रुटि नही है। मृतक विभूति जाति से यादव रहा है व अपीलांट जाति से ब्राहमण है अतः अपीलांट को तो कोई भी लोकस स्टेण्डाई ही नही है कि वह इस अपील को प्रस्तुत करे। अर्थात अपील मे प्रभावित पक्षकार भी नही है तथा न अपील करने का उसे कोई अधिकार ही हो सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरणो मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 17.5.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक उद्धरणों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी कुल किता 3 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा गोपाल तैली निवासी सोगरिया के कब्जे की थी जिसे संवत् 2024 से 2027 रती लाल आ0 बाडी लाल शाह जाति महाजन निवासी अहमदाबाद जो रेल्वे कॉन्ट्रेक्टर था ने खरीद कर विधिवत् अपने खाते दर्ज करवाई थी इस आराजी मे से रतीलाल ने मिटटी खोदकर अपना रेल्वे के ठेके का कार्य पूर्ण किया बाद में ठेका समाप्ति के 1963 के लगभग इस जमीन को छोडकर चला गया। जिस पर किसी प्रकार रमेशचंद तिवारी अपीलांट के पिता ने कब्जा कर लिया ओर गलत तथ्यो एवं फर्जी दस्तावेजो के आधार पर 14.6.1975 को नामान्तरकरण सं0 155 तस्दीक करवाकर यह आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। तत्पश्चात् ग्राम सोगरिया के ही एक अन्य काश्तकार मानसिंह द्वारा शिकायत करने पर जांच की गई जांच के पश्चात् सहायक भू0अभिलेख अधिकारी एवं तहसीलदार सी.ए0डी0 द्वारा नामा0 सं0 155 को निरस्त करवाने हेतु विधिवत् सुनवाई करते हुए धारा 60 –61 आर.टी0ए0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 30.5.1979 से नामा0 सं0 155 आदेश दिनांक 14.6.1975 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् यह भूमि विभूति यादव निवासी सोगरिया के नाम दर्ज हुई। विभूति के फौत होने पर फौती इन्तकाल न0 617 दिनांक 30.12.2013 से सुभाष यादव के नाम दर्ज हुई। सुभाष यादव द्वारा यह आराजी रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को विक्रय करने से नामान्तकरण सं0 620 से रेस्पो0 1 व 2 के खाते दर्ज की गई। प्रकरण में यह तथ्य ही विवेचनीय है कि अपीलांट के पिता रमेशचंद की मृत्यु दिनांक 16.9.2010 को हो चुकी है तथा नामा0 सं0 155 को निरस्त हुए 47 वर्ष व्यतीत हो चुके है। अपीलांट को फौत हुए भी 14 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में नामा0 सं0 155 को बहाल रखने से सबंधित अधीनस्थ न्यायालय में इतने विलम्ब से अपील पेश करने के सबंध में कोई उचित युक्तियुक्त कारण पत्रावली में उपलब्ध नही है। वादग्रस्त आराजी से सबंधित रमेशचंद तिवारी बनाम प्रमोद शाह आदि का वाद सं0 26/93 विचाराधीन है तथा एक अन्य वाद बद्री बाई बनाम स्टेट, मोत्या, देवलाल, विभूति, हनुमानसिंह, प्रमोदशाह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वाद सं0 144 /2001 विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के विभिन्न वाद विचाराधीन रहते हुए अपील के जरिये पक्षकारो के हक एवं अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता। नियमित वाद

के जरिये ही पक्षकारान के हको का निर्धारण होना है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त तर्क विधिसंम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैरअपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरणो में तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जैरअपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 आदेश 8 नियम ए(3) जाप्ता दी0 धारा 114, 151 सीपीसी उपरोक्त अपीलो के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 17.5.2022 के पुनर्विचार बाबत् प्रकरण सं0 54/2022 न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में पेश किया गया जो निर्णय दिनांक 11.10.2022 से अस्वीकार कर खारिज किया गया। उक्त तथ्य को भी अपीलांट द्वारा अपील मेमो में छीपाया जाकर हस्तगत अपील पेश की गई है तथा रिव्यू प्रा0 पत्र में पारित आदेश को सक्षम न्यायालय में रिवीजन/चेलेंज भी नही किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यो/दस्तावेजो का समुचित परीक्षण किये बिना जैरअपील निर्णय पारित करने सबंधी अपीलांट का तर्क निराधार होने से स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रकरणो में तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जैरअपील निर्णय पारित किया जिसमें किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। उपरोक्त विवेचित तथ्यो के परीपेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का पारित जैरअपील निर्णय दिनांक 17.5.2022 यथावत रखा जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 3.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा